रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 13, 2019/ज्येष्ठ 23, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 65

No. 110] DELHI, THURSDAY, JUNE 13, 2019/JYAISTHA 23, 1941 [N.C.T.D. No. 65

IndiaCode

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 जून, 2019

सं. फा. 23(488)/परि.वि./ARU/2010/452/1042.—इस सम्बन्ध में पूर्ववर्ती अधिसूचना के अधिक्रमण में तथा दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 67 की उप-धारा (1) के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त उप-धारा (1) के खंड (घ) के सम्बन्ध में, राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते है, अर्थात्—

दिल्ली के ऑटोरिक्शा के ऑपरेटरों द्वारा लिया जाने वाला किराया निम्नानुसार होगा—

(क) ऑटोरिक्शा (i) किराया (जी.पी.एस./जी.पी.आर.एस./नियंत्रण कक्ष तथा मांग पर ऑटोरिक्शा उपलब्ध कराने वाले केंद्र के लिए 0.50 रुपये के प्रभार सहित)	प्रथम 1.5 किलोमीटर के लिए 25 रुपये (मीटर डाउन करके) तथा उसके पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 9.50 रुपये
(ii) **रात्रि प्रभार**	किराये का 25 प्रतिशत (रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक)

(iii) प्रतीक्षा प्रभार -	प्रतीक्षा शुल्क रु. 0.75 प्रति मिनट हर मिनट के लिए लागू होगा (पहले की तरह न्यूनतम 15 मिनट की कोई सीमा नहीं जब वाहन स्थिर हो या ट्रैफिक में अटक जाए या बेहद धीमी गति से चले (10 मिनट में 1 किमी से कम कवर करे)।
(iv) सामान प्रभार -	7.50 रुपये अतिरिक्त सामान प्रभार के रूप में वसूल किये जाएंगे जबकि चालक/ऑपरेटर किसी शॉपिंग बैग या छोटी अटैची/सूटकेस के लिए कोई धनराशि वसूल नहीं करेगा!

यह अधिसूचना परिवहन मंत्री, दिल्ली सरकार के अनुमोदन से जारी किया गया है।

अजय कुमार सिनंदी, उप आयुक्त (ऑटोरिक्शा इकाई)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th June, 2019

No. F. 23(488)/Tpt/ARU/2010/452/1042.— In suppression of earlier notifications in this behalf and in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (1) of section 67 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and having regard to clause (d) of the said sub section (1), following directions are hereby issued to the State Transport Authority Delhi, namely:—

The fares chargeable by the operators of Auto Rickshaws in the National Capital Territory of Delhi, shall be as follows:—

a.	Fare (including Rupees 0.50 charges for Global Positioning System (GPS)/ General Packet Radio Service (GPRS)/ Control Room)	Rs. 25/- for first fall of 1.5 Km (upon downing the meter) and thereafter Rs. 9.50 per km for every additional kilometre.
b.	Night Charges	25% of the fare (11.00 P.M. to 5.00 A.M)
c.	Waiting Charges	Waiting charges at the rate of Rs. 0.75 per minute shall be applicable for every minute (no limit of minimum 15 minutes as earlier when the vehicle is stationary or stuck in traffic or moving extremely slow (less than 1 km covered in 10 minutes).
d.	Luggage Charges	Rs.7.50 shall be charged as extra Luggage charges whereas the driver/operator shall not chare any extra amount for a shopping bag or a small attaché/suitcase.

This issues with the approval of Minister of Transport, Government of NCT of Delhi.

AJAY KUMAR SINANDI, Dy. Commissioner (ARU)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.06.14 11:04:13 +05'30'